प्रधानमंत्री आवास योजना

एलआईजी फ्लैट्स - कौशल्या माता विहार

लिफ्ट व पार्किंग की सुविधा

प्रकार	बिल्टअप एरिया (वर्गफुट)	कारपेट एरिया (वर्गफुट)	ऑफसेट मूल्य	धरोहर राशि
LIG Flats - 2 BHK	586.52	493.74	11,63,000/-	50,000/-
LIG Flats - 3 BHK	740.44	645.29	13,91,000/-	50,000/-

आवेदन की पात्रता : (1) आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष से निवासरत होना चाहिए (2) आवेदक के पूरे परिवार की वार्षिक आय रु. 3,00,001 (तीन लाख एक रुपये) से रु. 6,00,000/- (छह लाख रुपये) तक हो (3) आवेदक व उसके परिवार के नाम पर पूरे भारत वर्ष में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं हो |

आवेदन कौन कर सकता है ? इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया / परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर / जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो तब परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर आवेदन किया जा सकता है (परिवार से आशय-पति, पत्नी, अवयस्क बच्चे तथा आश्रित माता-पिता)।

पंजीयन राशि: पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ रु. 50,000/- (पचास हजार रुपए) का बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट ***"CEO RDA Raipur"*** के नाम पर देय होगा।

आरक्षण : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध।

आबंटन: टेंडर/बिडिंग के माध्यम से

आधिपत्य: आवंटन आदेश के अनुसार निर्धारित प्रथम किश्त जमा करने के पश्चात् 3 वर्ष के भीतर दिया जाएगा.

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज: (1) आरक्षित वर्ग से आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र (2) आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ के किसी भी निकाय क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष से निवासरत होने का प्रमाण पत्र (3) परिवार का आधार कार्ड (4) आय प्रमाणपत्र (तहसील कार्यालय से जारी / नियोक्ता से / शपथ पत्र द्वारा (5) आवेदन पत्र में संलग्न शपथपत्र 50. रू के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित हो (6) भरे हुए आवेदन पत्र के साथ पृथक लिफाफे में पंजीयन राशि रूपये 50,000/- का बैंकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करें ।

सुविधाएं : एक ड्राइंग रुम, दो बेडरुम, रसोई, बॉलकनी, बॉथरुम - लैट्रिन व यूटिलिटी एरिया, सार्वजनिक लिफ्ट, भूतल पर पार्किंग। जल आपूर्ति- 24×7 घंटे, नाली, भूमिगत सीवरेज नेटवर्क, वर्षा के पानी निकासी के लिए स्ट्रॉम सीवर पाईप लाईन, विद्युत संचार- भूमिगत केबल नेटवर्क के साथ विद्युत आपूर्ति, संचार केबल नेटवर्क की व्यवस्था, रसोई- प्लेटफार्म में राजिम पत्थर / रेड फ्लैग स्टोन व स्टील का सिंक, स्ट्रीट लाईटिंग सिंगल/डबल आर्म स्ट्रीट लाईट, सड़क डामरीकृत सड़कें, सड़कों के किनारे पेवर ब्लॉक्स, उद्यान - पूर्ण विकसित व हरा भरा उद्यान।

ऋण उपलब्धता : प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होने के कारण बैंकों द्वारा आसान किश्तों में ऋण उपलब्ध होगा।

नोट : (1) निविदा बड़े लिफाफे में प्रस्तुत की जाए जिसमें पृथक से एक छोटा लिफाफे में बैंकर्स चेक/ डीडी संलग्न करके बड़े लिफाफे के अंदर डालकर प्रस्तुत करें | चेक स्वीकार्य नहीं हैं चेक के साथ प्रस्तुत निविदा अमान्य घोषित की जावेगी |

(2) प्लॉट तथा फ्लैट का आबंटन नियम एवं शर्तों के आधार पर किया जाता है। कृपया दलालों से सावधान रहें और उनके जाल में ना फसें। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लॉट तथा फ्लैट दिलाने के नाम पर अतिरिक्त राशि की मांग किए जाने पर उसकी शिकायत कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी से करें | शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी |

रायपुर विकास प्राधिकरण

PCG RERA Reg. No. 190618000236

भक्त माताकर्मा कॉम्पलेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर

अधिक जानकारी के के लिए लिए संपर्क करें : 7224980800

वेबसाईट : www.rdaraipur.com